

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 737] No. 737] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 12, 2018/आश्विन 20, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 12, 2018/ASVINA 20, 1940

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

[मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 1030(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) भर्ती नियम, 1984, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैंए अर्थात् :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि. —भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होगीं जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है, कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू, उनके स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

शिथिल करने की शक्ति.— जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

5. व्यावृति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय.समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन अथवा अचयन
			स्तर	पद
1	2	3	4	5
श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	162* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूहः 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स (रुपयेः 44,900.1,42,400) में स्तर- 7	चयन पद

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
6	7
30 वर्षों	आवश्यकः
से अनधिक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान या सामाजिक कार्य विषय सहित किसी भी विधा शाखा में डिग्री;
(केंद्रीय सरकार द्वारा समय- .समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वद्यालय या संस्थान से विधि या श्रम संबंध या श्रम कल्याण या श्रम विधियाँ या औद्योगिक संबंध या समाज विज्ञान या वाणिज्य या समाज कार्य या कल्याण कारोबार प्रशासन अथवा कार्मिक प्रबंधन में डिप्लोमा वांछनीय
टिप्पणः आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख	किसी औद्योगिक संगठन या किसी सरकारी स्थापना में श्रम विधि या श्रम कल्याण या

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिए गए यथा विज्ञापित की जाएगी श्रम संबंध या कार्मिक प्रबंधन में एक वर्ष का अनुभव

टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
. 8	9	10
आयु – नहीं	दो वर्ष	(i) 15 प्रतिशत पदोन्नति
शैक्षणिक योग्यताः नहीं, परन्तु उसके पास कम से कम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि या श्रम संबंध या श्रम कल्याण या श्रम विधि या औद्योगिक संबंध या समाज विज्ञान या वाणिज्य या समाज कार्य या कल्याण कारोबार प्रशासन या कार्मिक प्रबंधन में डिप्लोमा हो। टिप्पणः इन भर्ती नियमों की अधिसूचना की तारीख को विद्यमान कार्यालय अधीक्षक को प्रोन्नति के लिए उपरोक्त अर्हताएं रखने से छूट प्राप्त होंगे।	[सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए]	द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, द्वारा। (ii) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।

11

प्रोन्नति :- ऐसे कार्यालय अधीक्षक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में (रु 35,400-1,12,400) स्तर-6 में पांच साल की नियमित सेवा की है और श्रम विधियाँ और प्रशासनिक मामले में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है,

अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्प कालिक संविदा भी है):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :-

- (क) (i): जो मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल कैडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स में स्तर-6 (35,400 1,12,400) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो ; और
- (ख) किसी उद्योग या सरकार में श्रम विधि या श्रम कल्याण या श्रम संबंध या कार्मिक प्रबंधन में दो वर्ष के अनुभव के साथ जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा।
12	13
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के जि जिसमें निम्नलिखित होंगेः.	लेए) सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
 अपर मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) मुख्यालय — उ 	मध्यक्ष ;
2. उप मुख्य श्रमायुक्त(केन्द्रीय) —स	दस्य ;
 अवर सचिव या प्रशासनिक अधिकारी — स 	दस्य ।
विभागीय पृष्टि समिति;(पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित होंगेः	जिसमें
 अपर मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) मुख्यालय — ः 	भध्यक्ष ;
2. उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) — स	दस्य ;
 अवर सचिव या प्रशासनिक अधिकारी —सद 	स्य ।

[फा. सं. प्रशा. 1/31(02)/2014]

अनुराधा प्रसाद, अपर सचिव एवं मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

[OFFICE OF THE CHIEF LABOUR COMMISSIONER (CENTRAL)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2018

G.S.R.1030(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to the Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Labour Enforcement Officer (Central) Recruitment Rules, 1984, namely:—

- Short Title and Commencement (1) These Rules may be called the Labour Enforcement Officer (Central)
 Recruitment (Amendment) Rules 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule aforesaid.
- 4. **Disqualification.**—No person
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is *permissible* under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.—** Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient do to so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of the age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the Ex-service men, the Other Backward Classes and Other Special Categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time to this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection post or Non- selection post
1	2	3	4	5
LABOUR	162*	General Central Service	Level – 7 in the	Selection
ENFORCEMENT	*(2018) Subject to	Group 'B' Gazetted,	Pay Matrix	
OFFICER (CENTRAL)	variation dependent	Non-Ministerial	(Rs.44,900-	
	on workload		1,42,400)	

Age limit for direct recruitment	Educational and other qualification required for direct recruits		
6	7		
Not exceeding 30 years.	Essential:		
(Relaxable for Government (i) Degree in any discipline with Commerce or Economics or Sociology or Socia			
Servants up to 5 years in Work as one of the subjects from a recognized University or Inst			
accordance with the instructions	(ii) Diploma in Law or Labour Relations or Labour Welfare or Labour Laws or		
or orders issued by the Central	Industrial Relations or Sociology or Commerce or Social Work or Welfare		
Government).	Business Administration or Personnel Management from a recognized		
Note:- The crucial date for	University or Institute.		

determine the age limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.

Desirable:

One Year experience in Labour Law or Labour Welfare or Labour Relations or Personnel Management in an Industrial Organization or a Government Establishment.

Note: 1- Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2:- The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient numbers of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
8	9	10
Age - No.	Two years	(i) 15% by promotion failing which
Educational Qualification: No, but must possess at least Diploma in Law or Labour Relations or Labour Welfare or Labour Laws or Industrial Relations or Sociology or Commerce or Social Work or Welfare Business Administration or Personnel Management from a recognized University or Institute. NOTE: the existing Office Superintendents, as on the date of notification of these Recruitment Rules shall be exempted from possessing of the above qualifications for promotion.	[for direct recruits]	by deputation including Short-Term Contract. (ii) 85% by Direct Recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.

1

Promotion

Office Superintendent (in Level-6 in the Pay Matrix (Rs.35,400-1,12,400) with five years regular service and have successfully completed four weeks of training in Labour Laws and Administrative matter.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including Short Term Contract):

Officers of the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Recognised Research Institutions or Autonomous Bodies or Statutory Organizations.

- (a) (i): holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts Level- 6 in the pay matrix (Rs. 35,400 - 1,12,400) or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications prescribed for Direct Recruits under column (7) along with two years' experience in Labour Law or Labour Welfare or Labour Relations or Personnel Management in an Industrial or Government Establishment.

the departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists what i	s its composition	Circumstano	es in	which	Union
		Public Serv	rice Cor	nmission	to be
		consulted in making recruitment			nt
12			13		
Departmental Promotion Committee (for consideration)	ering promotion)	Consultation		Union	Public
consisting of : —		Service Con	nmission	necessary	while
1. Additional Chief Labour Commissioner (Central)		making direct recruitment.			
Headquarters	—Chairman;				
2. Deputy Chief Labour Commissioner (Central)	—Member;				
3) Under Secretary or Administrative Officer	—Member,				
Departmental Confirmation Committee (for consider	ing confirmation)				
consisting of : —					
1. Additional Chief Labour Commissioner (Central)					
Headquarters	—Chairman;				
2. Deputy Chief Labour Commissioner (Central)	Member;				
3) Under Secretary or Administrative Officer	—Member.				

[F. No. Adm.I/31(02)/2014]

ANURADHA PRASAD, Addl. Secy. & Chief Labour Commissioner (Central)